

## देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना —:

अधिसूचना संख्या 509/भू अ०

दिनांक : 30/5/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कोयरीडीह, थाना-जसीडीह, थाना सं०-140, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा कोयरीडीह मेन रोड (पुनासी-जसीडीह पथ पर) से दिघरिया पथ (एन०एच०-333 से पुनासी पथ पर) एवं चपरिया से रमलडी लिंक पथ पुनर्निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-कोयरीडीह, थाना-जसीडीह, थाना सं०-140, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.53 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	5	65	रैयती	बाड़ी-2	0.025	राज कुमार सिंह वो नूनमणी सिंह पे० स्व० कमल नारायण सिंह अंश समान वो जय नारायण सिंह पे० स्व० विष्णु सिंह, जाति-सुरजवंशी राजपूत, साकिन देह।	नदी नं०-1 पुनासी	गन्धू चकनं ०-1 41	राधेम होडा रनं० -131	चपरिया I नं०-1 35
2	5	144	रैयती	बाड़ी-1	0.035	तथैव				
3	6	94	रैयती	बाड़ी-1	0.055	अशोक ठाकुर वो नरेश ठाकुर माता सीता देवी वो कार्तिक ठाकुर माता पार्वती देवी। जाति-नापित, साकिन देह।				
4	10	59	रैयती	बाड़ी-2	0.02	मोसमात परनी जौजे सोहन नापित, जाति-हजाम, साकिन देह (जा० रै०)				
5	10	96	रैयती	बाड़ी-1	0.04	तथैव।				
6	10	102	रैयती	बाड़ी-1	0.02	तथैव।				
7	10	103	रैयती	मकान में सहन	0.01	तथैव।				
8	24	2	रैयती	बाड़ी-2	0.06	बासुदेव ठाकुर वो बदामी देवी वो सुदामी देवी वो मीना देवी माता गुड़िया देवी। जाति-नापित साकिन देह।				
9	24	3	रैयती	धानी-3	0.02	तथैव।				
10	24	99	रैयती	धानी-3	0.015	तथैव				
11	24	100	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तथैव।				
12	24	104	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तथैव।				
13	24	105	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तथैव।				
14	24	58	रैयती	बाड़ी-2	0.01	भोला नाथ ठाकुर (पोष्यपुत्र) वो कुसुम देवी वो रेखा देवी पे० तहदी ठाकुर वो भागीरथ ठाकुर माता कमला देवी वो वासुदेव ठाकुर वो बदामी देवी वो सुदामी देवी वो मीना देवी माता गुड़िया देवी वो अशोक ठाकुर वो नरेश ठाकुर माता सीता देवी वो कार्तिक ठाकुर माता पार्वती देवी जाति-नापित साकिन देह				

30

1

15	24	98	रैयती	धानी-3	0.02	भोला नाथ ठाकुर (पोष्यपुत्र)पे० तहदी ठाकुर वो भागीरथ ठाकुर पे० रबड़ी ठाकुर जाति-हजाम साकिन देह।
16	24	97	रैयती	बाड़ी-2	0.02	अशोक ठाकुर वो नरेश ठाकुर माता सीता देवी वो कार्तिक ठाकुर माता-पार्वती देवी जाति-नापित, साकिन देह।
17	24	101	रैयती	बाड़ी-1	0.02	तथैव।
18	26	90	रैयती	बाड़ी-1	0.04	निशी राउत वो सुरेन्द्र राउत वो प्रमोद राउत वो अनन्त राउत माता पुटली देवी वो अनंत राउत वो कैलाश राउत वो ब्रहदेव राउत पे०भोला राउत वो दयानन्द राउत वो दिलीप राउत पे० अकलेश्वर राउत। जाति धानुक साकिन देह
19	27	143	रैयती	बाड़ी-1	0.01	बगास्त मालिक
20	27	142	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तथैव।
21	27	141	रैयती	बाड़ी-1	0.04	तथैव।
22	27	107	रैयती	बाग आम	0.02	तथैव।
23	27	133	रैयती	बगान	0.005	तथैव।
24	27	134	रैयती	फुलबगान	0.005	तथैव।
कुल रकवा-					<b>0.53</b>	

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर

अपर समाहर्ता  
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 509 / भू अ०, देवघर, दिनांक 30/5/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर

अपरा समाहर्ता  
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।